

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 7786 तारांकित संशोधित की जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं ।

i बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने का जोखिम:- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरित मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होना । -
बुआई/रोपाई/अंकुरण नष्ट होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल के कुल रकबे के 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर यह जोखिम लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा तथा प्रभावित बीमित इकाई में दावा राशि भुगतान होने पर बीमा स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा इसके उपरान्त संबंधित बीमित इकाई में संबंधित फसल के लिये अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

ii फसल मौसम में मध्य में हानि:- खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक) की अवस्था में:- सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चकवात, आंधी, बवंडर आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि । -
फसल अवस्था के बीच में फसल क्षति होने पर यदि बीमित इकाई में वास्तविक उपज थ्रेशहोल्ड उपज की 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर यह प्रावधान लागू होगा । इस प्रावधान के अंतर्गत बीमित राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जावेगा । भुगतान निम्नानुसार सूत्र के आधार पर किया जावेगा ।
(थ्रेश होल्ड उपज-अनुमानित उपज)

दावा राशि = -----X बीमित राशि का 25 % (अधिकतम)
थ्रेश होल्ड उपज

iii कटाई उपरांत क्षति:- कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल के कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति । -

कटाई उपरान्त फसल क्षति का अवरण एकल प्लॉट/फार्म इकाई आधार पर सभी बीमित फसलों के लिये होगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटे के अन्दर क्रियान्वयन एजेन्सी/जिला प्रशासन/राजस्व विभाग/कृषि विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जावेगी । इस प्रावधान अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 48 घण्टों के भीतर क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेंगे । यदि अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा एवं प्रभावित आवेदक कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जावेगा तथा प्रभावित क्षेत्र 25 प्रतिशत से कम होने पर प्रभावित कृषकों की पृथक-पृथक क्षति आंकलित कर दावा राशि की गणना की जावेगी । क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना की जायेगी ।


D. D. A.

i v क्षेत्रीय आपदा:- क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भूस्खलन एवं जलप्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति । -

क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में यह जोखिम आवरित होगा । यदि किसी अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल क्षति का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पूर्ण बीमित इकाई को प्रभावित माना जावेगा तथा 25 प्रतिशत से कम होने पर एकल फार्म/कृषक स्तर पर क्षति प्रतिशत की गणना की जावेगी । 25 प्रतिशत से अधिक की क्षति होने पर क्षति का प्रतिशत संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित सेम्पल सर्वे के आधार पर की जावेगी । क्षति प्रतिशत के आधार पर दावा राशि की गणना कर पात्र आवेदक कृषकों को भुगतान किया जायेगा । आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी/संबंधित बैंक/क्षेत्रीय कृषि विभाग/राजस्व विभाग/जिला प्रशासन या बीमा कम्पनी द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर पर की जावेगी । क्षति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा क्षति आंकलन प्रतिनिधि नियुक्त किये जावेंगे ।

अंतिम दावा राशि की गणना :-

फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर निम्नानुसार सूत्र से अंतिम दावा राशि की गणना की जावेगी ।

(श्रेष होल्ड उपज-वास्तविक उपज)

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{श्रेष होल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{श्रेष होल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

श्रेष होल्ड उपज = औसत उपज X क्षतिपूर्ति स्तर
क्षतिपूर्ति स्तर मध्यप्रदेश में 80 प्रतिशत निर्धारित है ।

औसत उपज = विगत 7 वर्षों की उत्पादकता का औसत जिसमें से 2 वर्ष प्राकृतिक आपदा के घटाये जा सकते हैं ।

अर्थात् श्रेष होल्ड उपज से वास्तविक उपज कम होने पर ही क्षति पूर्ति देय होगी । फसल मौसम के मध्य में फसल क्षति, क्षेत्रीय आपदा एवं कटाई उपरांत क्षति जोखिमों में देय दावा राशि का अंतिम दावा राशि में समायोजन होगा । यदि कृषक को अंतिम दावा से अधिक का भुगतान हुआ है तो शेष राशि कृषक से वसूल नहीं की जायेगी ।

परिशिष्ट-1 (पृष्ठ 1 के 2 तक)
कुल पृष्ठ-2।

अ. प्र. वि. वि. वि.
कृषि विभाग (आशा-2)।